न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 281 / 2013
अन्तर्गत धारा 53, 183 राज. काश्तकारी अधिनियम

बलवन्त आत्मज श्री आदुराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर. **...वादी**

बनाम

1. ताराचन्द,
2. लेखराम आत्मजन श्री आदुराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
3. ओमप्रकाश आत्मज श्री लेखराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
4. भैराराम आत्मज श्री पन्नाराम, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
5. हरीमोहन एवं
6. हनुमान आत्मजन श्री पतराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
7. श्रीमती सूर्यदेवी धर्मपत्नी श्री पतराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
8. श्रीमती कौशल्या,
9. श्रीमती शारदा,
10. श्रीमती कमला,
11. श्रीमती परमेश्वरी एवं
12. श्रीमती नीमी आत्मजन श्री पतराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
13. बृजलाल आत्मज श्री रामलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
14. श्रीमती बख्तावरी धर्मपत्नी रामलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
15. श्रीमती जैतादेवी,
16. श्रीमती कौरादेवी,
17. श्रीमती सतो,
18. श्रीमती रूकमणी एवं
19. श्रीमती चन्द्रकिला आत्मजन श्री रामलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
20. श्रीमती शान्ति धर्मपत्नी श्री पोलाराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
21. राजेन्द्र एवं

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

22. अशोककुमार आत्मजन श्री पोलाराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
23. श्रीमती उर्मिला आत्मजा श्री पोलाराम, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
24. अजीतकुमार आत्मज श्री मनोहरलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
25. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
26. सुरेशकुमार आत्मज श्री ताराचन्द, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.
27. श्योप्रकाश आत्मज श्री मनोहरलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (वादी)
श्री विजय रेवाड़ (प्रतिवादी–1से3,26,27)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–25)

दिनांक 13 अगस्त, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/50 मुरब्बा नबर 45 एवं 49 की कुल 0.734 हैक्टर एवं चक 3 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3/3 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 1 से 24 एवं खाता संख्या 78/30 की 4.961 हैक्टर कृषि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी दर्ज है. राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खाता में दर्ज रहने से वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर सुधार कार्य नहीं करवा सकता तथा अधिक से अधिक लाभ नहीं उठा सकता है. इसके अतिरिक्त, वादी के हिस्सा की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काबिज होकर नाजायज लाभ उठा रहे हैं. इसलिये वादी उक्त चकों की भूमि के खातों का किलावाईज विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की कृषि भूमि किलावाईज करवाकर पृथक खाता कायम करवाना कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कोई हिस्सा ठेका की राशि का भुगतान नहीं कर रहे हें तथा वादी के हिस्सा की कृषि भूमि से नाजायज लाभ उठा रहे हैं. वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह उक्त दोनों चकों की दोनों खातों की भूमि का किलावाईज विभाजन करवाकर वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम से किलावाईज दर्ज करवाकर पृथक खाता कायम करवाकर वादी के हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा सोंपे तथा मीन प्राफिट लगान का 15 गुणा अदा करें किन्तु वे टालमटोल करते हुऐ दिनांक 28 नवम्बर, 2009 को साफ

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक

इन्कारी हो गये. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 53/50 मुरब्बा नबर 45 एवं 49 की बारानी कृषि भूमि कुल 0.734 हैक्टर एवं चक 3 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3/3 मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 1 से 24 एवं खाता संख्या 78/30 की 4.961 हैक्टर कृषि मय खाल का नियमानुसार विभाजन कर वादी के हिस्सा के किलावाईज पृथक खाता दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4 से 24 की तलबी हेतु जारी सम्मन दैनिक राजस्थान पत्रिका दिनांक 13 मई, 2014 को प्रकाशित करवाये गये. नियमानुसार अवधि व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या 4 से 24 के उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 2014 को प्रतिवादी संख्या 4 से 24 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 25 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

श्री राजेन्द्रकुमार आत्मज श्री ताराचन्द द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 14 जून, 2010 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में वादी द्वारा खाता विभाजन एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से बेदखली का अनुतोष चाहा गया है जिसमें इस खाता में आवेदक के पिता श्री ताराचन्द जो अभिलेखीय खातेदार हैं, वादी के सगे भाई हैं, को पक्षकार बनाया गया है जबकि आवेदक के पिता के एवं उसके भाईयों, वादी के नाम से रकबा पर मौखिक घरू बंटवारा के अनुसार आवेदक 10 वर्षो के काबिज काश्त है. यह तथ्य वादी की जानकारी में है इस तथ्य को जानते हुऐ भी वादी द्वारा जानबूझ कर आवेदक के हक व हिस्सा की कृषि भूमि जो घरू बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 1, 2, 4, 10, 11, 20 एवं 21 कुल 7.00 बीघा जिसकी गिरदावरी भी आवेदक के नाम पर है, आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है. चूंकि वादपत्र खाता विभाजन का है इसलिये आवेदक को अपने हक व हिस्सा घोषित करवाकर खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है. इस प्रकार आवेदक विचाराधीन वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है. विचाराधीन वादपत्र में आवेदक को प्रतिवादी पक्षकार जोड़े जाने से वाद में अन्तर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभारी तौर पर और पूरी तरह न्याय निर्णय एवं निस्तारण हेतु मा. न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक है. जिससे जहां मा. न्यायालय को वाद की तह तक पहुचने में मदद मिलेगी वहीं आवेदक को अपना हक व हिस्सा मिल सकेगा. इस प्रकार आवेदक द्वारा विचाराधीन वादपत्र में प्रतिपक्षकार स्थापित करने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में शुद्वकार खसरा सिंचाई आउटलेट 49, शुद्वकार खसरा सिंचाई 2008, शुद्वकार खसरा सिंचाई आउटलेट 42 शुद्वकार खसरा सिंचाई आउटलेट 50, शुद्वकार खसरा सिंचाई 2006 की प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 25 सितम्बर, 2011 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि पर राजेन्द्र का कब्जा नहीं है तथा विभाजन में उसे कृषि भूमि नहीं मिली. राजस्व अभिलेख में कृषि भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज नहीं है इसलिये आवेदक को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि विभाजन हेतु वादपत्र में केवल सहखातेदार को ही पक्षकार बनाया जाता है. चूंकि आवेदक सह खातेदार नहीं है इसलिये उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदक अधिवक्ता द्वारा उपस्थित आकर विचाराधीन आवेदनपत्र पर कार्यवाही नहीं करने के तथ्य हस्ताक्षरित किये गये तथा जिसके परिणामतः आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा निरस्त किया गया.

प्रतिवादी संख्या 25 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 17 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहित को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण दिनांक 23 जून, 2015 को अन्तिम अवसर, दिनांक 8 जुलाई, 2015 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये गये. तदोपरान्त भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के परिणामतः दिनांक 30 जुलाई, 2015 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब वादपत्र बन्द किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 3 ई बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 एवं मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 0.734 हैक्टर एवं चक 3 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 3/3 मुरब्बा नम्बर 61 की कुल 4.961 हैक्टर कृषि भमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त खातेदारी दर्ज है?

....वादी

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2. क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा की कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है? ...**वादी**

3. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री बलवन्तराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पृथक पृथक आवेदनपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2015 अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन विभाजन के वाद में प्रतिवादी की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 30 जुलाई, 2015 को बन्द किया गया है. प्रतिवादी को उक्त दिनांक का मुगालता लग गया था जिस कारण प्रतिवादी समय पर जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने के लिये हाजिर अदालत आ सका और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2015 को जवाबदेही बन्द कर दी गयी. विभाजन के वाद में जवाब वादपत्र प्रस्तुत करना अति आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र में वर्णित खाता की कृषि भूमि काश्त की जा रही है. प्रतिवादी अच्छी में से अच्छी एवं माड़ी में से माड़ी भूमि लेना चाहता है और कृषि भूमि का विभाजन करवाना चाहता है. प्रतिवादी दिनांक 17 नवम्बर, 2015 को अपने अधिवक्ता से तारीख पेशी का पता करने के लिये आया तो अधिवक्ता द्वारा जवाबदेही बन्द होने के तथ्य की जानकारी दी गयी. अधिवक्ता द्वारा दी गयी सूचना से आवेदनपत्र परिसीमा अवधि में प्रस्तुत किया जा रहा है. इस प्रकार प्रतिवदी संख्या 1 द्वारा न्यायहित में जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया. जिन पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आवेदनपत्र स्वीकार किये गये.

आवेदकगण कमशः श्री श्योप्रकाश एवं श्री सुरेश्कुमार द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से पृथक पृथक आवेदनपत्र दिनांक 18 नवम्बर, 2015 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किये गये जिनके अनुसार विचाराधीन विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपत्र में चक 3 ई बड़ी–ाा के खाता संख्या 52 / 50 मुरब्बा नम्बर 45 व 49 के राजस्व अभिलेख में आवेदकगण का नाम है इस प्रकार आवेदकगण अभिलेखीय खातेदार हैं तथा आवेदकगण खाता संख्या 52 / 50 मुरब्बा नम्बर 45 व 49 स्थित कृषि भूमि काश्त कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा विचाराधीन वादपत्र में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्रों के तथ्यों के समर्थन में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा चक 3 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 एवं 49 के विभाजन हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के अनुसार सहकाश्तकार को ही पक्षकार बनाया जाता है. जो पूर्व में बने हुऐ हैं. तथा आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में नहीं है. इसलिये उन्हें प्रतिपक्षकार नहीं बनाया जा सकता. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्रों पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किये जाकर आवेदकगण सर्व श्री श्योप्रकाश एवं श्री सुरेशकुमार को प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 1 को घरेलू विभाजन में चक 3 ई बड़ी में मिली कृषि भूमि उसके उसके पुत्र श्री सुरेशकुमार के पास है जिस पर वह शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. चक 3 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 61 में भी घरेलू बंटवारा के अनुसार किला नम्बर 10, 11, 20, 11 प्रतिवादी संख्या 1 को मिला हुआ है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. शेष खातेदार भी अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहे हैं. इसलिये कब्जा के अनुसार विभाजन किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 में उसके कब्जाधीन कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 26 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 26 को घरेलू विभाजन में चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21(0.11) अर्थात 0.139 हैक्टर कृषि भूमि मिली है जिस पर प्रतिवादी संख्या 26 शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. शेष खातेदार भी अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहे हैं. इसलिये कब्जा के अनुसार विभाजन किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 26 द्वारा प्रतिवादी संख्या 26 में उसके कब्जाधीन कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 27 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार

अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 27 को घरेलू विभाजन में चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 20(0.11) अर्थात 0.139 हैक्टर कृषि भूमि मिली है जिस पर प्रतिवादी संख्या 27 शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. शेष खातेदार भी अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहे हैं. इसलिये कब्जा के अनुसार विभाजन किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 27 द्वारा प्रतिवादी संख्या 27 में उसके कब्जाधीन कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 1 फरवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 2 को घरेलू विभाजन में चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21(0.03), किला नम्बर 22(0.18) (स्वयं के हिस्सा की 0.126 एवं पिता से मिला 0.03 बीघा कुल 0.038 हैक्टर मिली है जिस पर वह शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. इसलिये कब्जा के अनुसार विभाजन किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 में उसके कब्जाधीन कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 1 फरवरी, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूवर्क काश्त कर रहा है. प्रतिवादी संख्या 2 को घरेलू विभाजन में चक 3 ई बड़ी के (0.03) मिली है जिसे उसके द्वारा अपने पुत्र श्री ओमप्रकाश को दे रखी है जिस पर वह शान्तिपूवर्क काबिज होकर काश्त कर रहा है. चक 3 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 61 में किला नम्बर 9, 12, 19, 22 प्रतिवादी संख्या 2 को मिला हुआ है इसलिये कब्जा के अनुसार विभाजन किया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 में उसके कब्जाधीन कृषि भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया.

जवाब वादपत्रों के परिदृश्य निम्नलिखित संशोधित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादी चक 3 ई बड़ी–II तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 एवं मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 0.734 हैक्टर नहरी बारानी एवं मुरब्बा नम्बर 61 की 4.961 हैक्टर नहरी मय खाल का अपने हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाकर किलावाईज पृथक से दर्ज करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? ...वादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य पारिवारिक विभाजन के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1 चक 3 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 10, 11, 20, 21 कुल 4.00 बीघा पर काबिज है? तथा चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21(0.11) बीघा एतद्द्वारा 0.139 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 26 एवं चक नम्बर 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 20(0.11) बीघा एतद्द्वारा 0.139 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 27, चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21(0.03) बीघा एतद्द्वारा 0.038 हैक्टर, किला नम्बर 22(0.18) बीघा एतद्द्वारा 0.228 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3, चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 में 0.139 हैक्टर पर ओमप्रकाश आत्मज श्री लेखराम एवं 0.08 बीघा एतद्द्वारा 0.101 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है.

....प्रतिवादी–1,2,3,26,27

3. अनुतोष?

साक्षी वादी को जिरह हेतु उपस्थित आने हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 20 अप्रेल, 2016 को अन्तिम अवसर तथा दिनांक 19 मई, 2016 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिये जाने पर साक्षी वादी उपस्थित आया जिससे जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री ओमप्रकाश, श्री श्योप्रकाश, श्री सुरेशकुमार, श्री लेखराम एवं श्री ताराचन्द द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनसे जिरह की गयी. अभिलेख राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068(प्रदर्श–1) प्रदर्श करवाया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या वादी चक 3 ई बड़ी–II तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 एवं मुरब्बा नम्बर 49 की कुल 0.734 हैक्टर नहरी बारानी एवं मुरब्बा नम्बर 61 की 4.961 हैक्टर नहरी मय खाल का अपने हिस्सा के अनुसार विभाजन करवाकर किलावाईज पृथक से दर्ज करवाने एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है?

...वादी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 के अनुसार चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 40 में सर्वश्री ताराचन्द(प्रतिवादी संख्या 1), श्री लेखराम(प्रतिवादी संख्या 2), श्री बलवन्त(वादी) आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 0.417 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2968 के खाता संख्या 3/3 मुरब्बा नम्बर 61 में सर्वश्री लेखराम(प्रतिवादी संख्या 2), श्री बलवन्त(वादी), श्री ताराचन्द(प्रतिवादी संख्या 1) एवं श्री दलीप आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 3.966 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है. इसी अनुरूप पक्षकारान अपने–अपने हिस्सा की कृषि भूमि का किलावाईज विभाजन करवाने का अधिकारी है इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य पारिवारिक विभाजन के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1 चक 3 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 10, 11, 20, 21 कुल 4.00 बीघा पर काबिज है? तथा चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21(0.11) बीघा एत्दद्वारा 0.139 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 26 एवं चक नम्बर 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 20(0.11) बीघा एत्दद्वारा 0.139 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 27, चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21(0.03) बीघा एत्दद्वारा 0.038 हैक्टर, किला नम्बर 22(0.18) बीघा एत्दद्वारा 0.228 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 3, चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 45 में 0.139 हैक्टर पर ओमप्रकाश आत्मज श्री लेखराम एवं 0.08 बीघा एत्दद्वारा 0.101 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है. **....प्रतिवादी–1,2,3,26,27**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 के अनुसार चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 में सर्वश्री ताराचन्द(प्रतिवादी संख्या 1), श्री लेखराम(प्रतिवादी संख्या 2), श्री बलवन्त(वादी) आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 0.417 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है. इसी अनुरूप राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2968 के खाता संख्या 3/3 मुरब्बा नम्बर 61 में सर्वश्री लेखराम, श्री बलवन्त(वादी), श्री ताराचन्द(प्रतिवादी संख्या 1) एवं श्री दलीप आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 3.966 हैक्टर कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है. इसी अनुरूप प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हिस्सा की कृषि भूमि का किलावाईज विभाजन करवाने का अधिकारी है राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 55 में 0.126 हैक्टर कृषि भूमि श्री ओमप्रकाश (प्रतिवादी संख्या 3) के नाम पर

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दर्ज है. राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 26 श्री सुरेशकुमार आत्मज श्री ताराचन्द के नाम पर 0.139 हैक्टर कृषि भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 27 श्री श्योप्रकाश आत्मज श्री मनोहरलाल के नाम पर 0.139 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 26 एवं 27 राजस्व अभिलेखों में दर्ज अपनी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 26 एवं 27 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चय के अनुसार वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 26 एवं 27 राजस्व अभिलेखों में अपने अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि का यथा विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

अतः वादपत्र स्वीकार किया गया तथा **वादी श्री बलवन्त, प्रतिवादी संख्या 1 श्री ताराचन्द, प्रतिवादी संख्या 2 श्री लेखराम एवं** चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 में सर्वश्री ताराचन्द, श्री लेखराम, श्री बलवन्त(वादी) आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 0.417 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर, चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 में सर्वश्री ताराचन्द, श्री लेखराम, श्री बलवन्त(वादी) आत्मजन श्री आदूराम के नाम पर 0.417 हैक्टर बहिस्सा बराबर बराबर में से अपने हिस्सा की सीमा तक, **प्रतिवादी संख्या 3 श्री ओमप्रकश–** चक 3 ई बड़ी–II के खाता संख्या 52/50 मुरब्बा नम्बर 45 के 0.126 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 26 श्री सुरेशकुमार आत्मज श्री ताराचन्द–** राजस्व अभिलेखानुसार उसके नाम पर दर्ज 0.139 हैक्टर कृषि भूमि तथा **प्रतिवादी संख्या 27 श्री श्योप्रकाश आत्मज श्री मनोहरलाल– राजस्व अभिलेखानुसार अपने नाम पर दर्ज** 0.139 हैक्टर कृषि भूमि का यथा विभाजन करवाने का अधिकारी घोषित किया गया. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा विभाजन प्रस्ताव संख्या 2064 दिनांक 2 अप्रेल, 2018, निरीक्षक भू.अ., शिवपुर एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया.

वादी की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति आवेउदनपत्र दिनांक 25 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार स्वयं मौका पर नहीं गया व न ही उसके द्वारा स्वयं प्रस्ताव तैयार किया गया है इसलिये धारा 18 से 25 की पालना नहीं की गयी जबकि नियमानुसार तहसीलदार स्वयं मौका पर जाकर प्रस्ताव तैयार करता किन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया. प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार चक 3 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 20 से 22 में से किला नम्बर 20(0.11) एवं किला नम्बर 21(0.02) बीघा है किन्तु वादी किला नम्बर 22(0.03) बीघा, किला नम्बर 20(0.11) दिया जाना चाहिये जबकि प्रस्ताव में किला नम्बर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

22(0.01) एवं हिकला नम्बर 21(0.02) बीघा दिया गया है अर्थात तीन टुकडों में बांट कर कृषि भूमि दी गयी है. जबकि किला नम्बर 22(0.03) बीघा कृषि भूमि मिलने से वादी की भूमि एक साथ शामिल हो जाती जबकि किला नम्बर 23 में वादी स्वयं तथा किला नम्बर 22 में (0.01) बीघा दर्ज है इसलिये किला नम्बर 22 में 0.03 बीघा इकठ्ठा हो जाता है किन्तु विभाजन प्रस्ताव में जमीन के टुकड़े कर दिये गये हैं. इस प्रकार वादी की कृषि भूमि टुकड़ों में होने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया गया.

वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आपत्ति आवेदनपत्र दिनांक 09 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार सभी काश्तकारान की मौका पर जाकर कब्जा अनुसार रिपोर्ट तैयचार की गयी है जो जिस भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक विभाजन के अनुसार काबिज चले आ रहे हैं, वही विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया गया है और कब्जा रिपोर्ट अनुसार हर काश्तकार की भूमि रास्ता से लगती है जिससे हर काश्तकार को अपने खेत में जाने की सुविधा रहेगी और भविष्य में कोई विवाद नहीं रहेगा. वादी बलवन्तराम के पास किला नम्बर 20(0.11) बीघा एवं किला नम्बर 21(0.02) बीघा पर ही कब्जा है और उसी अनुसार ही रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है. अन्य भूमि पर अन्य प्रतिवादीगण का कब्जा है और वह लगातार काश्त कर रहे हैं. वादी को किला नम्बर 22(0.02) बीघा भूमि लेने का जो कथन किया गया है वह सरासर गलत है उसका कब्जा कभी भी किला नम्बर 22(0.02) बीघा पर नही रहा है इस प्रकार आपत्ति आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

चूंकि विभाजन प्रस्ताव में प्रत्येक काश्तकार को उसके हिस्सा की कृषि भूमि को रास्ता एवं सिंचाई की व्यवस्था के लिये यथोचित सुविधा सहित प्रस्तावित किया गया है ऐसी स्थिति में, विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है.

।। आदेश ।।

तहसीलदार(भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव कमांक 2064 दिनांक 2 अप्रेल, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री बलवन्तराम आत्मज श्री आदूराम को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 20/2(0.114) हैक्टर, किला नम्बर 21/2(0.025) हैक्टर कुल 0.139 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री लेखराम आत्मज श्री आदूराम को** – चक

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21/4(0.051) हैक्टर, किला नम्बर 22/3(0.089) हैक्टर कुल 0.140 हैक्टर **प्रतिवादी संख्या 3 श्री ओमप्रकाश आत्मज श्री लेखराम को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 22/2(0.0.126) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 4 श्री भैराराम आत्मज स्व. श्री पन्नाराम को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 1/1(0.038) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 26 श्री सुरेशकुमार आत्मज श्री ताराचन्द को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21/1(0.139) हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 27 श्री श्योप्रकाश आत्मज श्री मनोहरलाल को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 20/1(0.139) हैक्टर, **श्री दलीप आत्मज श्री आदूराम को** – चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 21/3(0.013) हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा अन्तिम डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 13 अगस्त, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर